

**Taking over Fabrication Section in  
India Aluminium Corporation,  
J.K. Nagar**

1783. SHRI JYOTIRMOY BOSU:  
Will the Minister of STEEL AND  
MINES be pleased to state:

(a) whether the fabrication section of Indian Aluminium Corporation (J.K. Nagar, West Bengal) which remained closed for several years, has been taken over by Government;

(b) if so, whether work has already started;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF STEEL AND  
MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a)  
The management of the industrial  
undertaking of the Aluminium Corpo-  
ration of India located at Jaykay Na-  
gar, Asansol has been taken over by  
the Government.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Agreement with labour for re-  
start of fabrication section is being  
negotiated.

12 hrs.

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

**REPORT ON FATAL ACCIDENT IN KUKDA  
LIMESTONE MINE, ANNUAL REPORT OF  
CENTRAL COAL MINES RESCUE STATIONS  
COMMITTEE, DHANBAD FOR 1975-76 AND  
MINES (AMDT.) RULES, 1978**

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI  
RAVINDRA VARMA): I beg to lay on  
the Table:—

(1) A copy of the Report (Hindi  
and English versions) on fatal acci-  
dent at Kukda Limestone Mine of

West Suket Cooperative Labour Con-  
tractors Society Limited. [Placed in  
Library. See No. LT-2919/78].

(2) A copy of the Annual Report  
(Hindi and English versions) of the  
Central Coal Mines Rescue Stations  
Committee, Dhanbad for the year  
1975-76. [Placed in Library. See No.  
LT-2920/78].

(3) A copy of the Mines (Amend-  
ment) Rules, 1978 (Hindi and English  
versions) published in Notification  
No. G.S.R. 557(E) in Gazette of India  
dated the 18th November, 1978, under  
sub-section (7) of section 59 of the  
Mines Act, 1952. [Placed in Library.  
See No. LT-2921/78].

INDIAN TELEGRAPH (2ND AMDT.) RULES,  
1978

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) :  
मैं निम्नलिखित पत्र की एक प्रतिलिपि सभा  
पटल पर रखता हूँ ।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की  
धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत  
भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम,  
1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की  
एक प्रति जो दिनांक 9 सितम्बर, 1978  
के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०  
सा० नि० 1110 में प्रकाशित हुई थी ।  
[Placed in Library. See No. LT-2922/  
78].

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMO-  
DITIES ACT, 1955 WITH STATEMENT FOR  
DELAY, REVIEW AND ANNUAL REPORT OF  
KUDREMUKH IRON ORE CO. LTD., BANGA-  
LORE FOR 1977-78 AND NOTIFICATION RE-  
MINING OPERATIONS IN JAMMU AND  
KASHMIR STATE

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य  
मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : मैं निम्नलिखित  
पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955  
की धारा 3 की उपधारा (6) के  
अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इस्पात पत्ती के अन्तिम उपयोग पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में सां० आ० 405 (ड) जो दिनांक 24 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एन्यूमिनियम, (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक, 18 अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 596 (ड) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library. See No. LT-2923/78].

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT-2924/78].

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कुदरेमुख लीह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1977-78 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुदरेमुख लीह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT-2925/78].

(4) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य में खनन कार्यों के बारे में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1165 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library. See No. LT-2926/78].

STATEMENTS SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON ASSURANCES, PROMISES AND UNDERTAKINGS GIVEN DURING VARIOUS SESSIONS OF LOK SABHA

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

- |   |   |
|---|---|
| (1) विवरण संख्या 22—पांचवां सत्र, 1972    | } |
| (2) विवरण संख्या 11—पन्द्रहवां सत्र, 1976 |   |
| (3) विवरण संख्या 12—सोलहवां सत्र, 1976    |   |

पाचवीं लोक सभा

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (4) विवरण संख्या 12—दूसरा सत्र, 1977 | } |
| (5) विवरण संख्या 8—तीसरा सत्र, 1977  |   |
| (6) विवरण संख्या 8—चौथा सत्र, 1978   |   |
| (7) विवरण संख्या 9—चौथा सत्र, 1978   |   |

छठी लोक सभा